राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं
पंचायती राज संस्थान
NATIONAL INSTITUTE OF RURAL
DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
Ministry of Rural Development, Government of India
www.nirdpr.org.in

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

प्रगति
समाचार पत्र



क्षमता निर्माण के माध्यम से जैव विविधता दिवस का आयोजन:
अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के आयोजन पर अनुभव एवं चिंतन

अंक 372 मई 2026

इस अंक में.....

आवरण कहानी: क्षमता निर्माण के माध्यम से जैव विविधता दिवस का आयोजन: अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के आयोजन पर अनुभव एवं चिंतन -4

1. 1स्रोत व्यक्तियों एवं एसआरएलएम पदाधिकारियों के लिए लोकओएस (LokOS) एप्लिकेशन पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण - 8

2. डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत व्यक्तिगत उद्यम ऋण आवेदन (आईईएलए) पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया - 9

3. डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत एफएनएचडब्ल्यू इमर्शन साइट्स के विकास हेतु प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्रों पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया -10

4. डीएवाई-एनआरएलएम में जोखिम-आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण -11

5. एनआईआरडीपीआर में विकसित भारत–रोज़गार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया -12

6. एसआरएलएम के विकास कार्यकर्ताओं के लिए नेतृत्व कौशल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम -13

7. स्थानीय शासन में महिला नेतृत्व पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण - 14

8. एनआईआरडीपीआर में डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत जेंडर मॉड्यूल पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण -15

9. गुणवत्तापूर्ण ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने पर 3-दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया - 16

10. एनआईआरडीपीआर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए डीएवाई-एनआरएलएम के कौशल विकास कार्यक्रमों का उद्घाटन - 17

11. पीएसीसीएस के व्यवसाय विविधीकरण एवं कम्प्यूटरीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम - 18

12. एनआईआरडीपीआर दिल्ली शाखा द्वारा त्रिपुरा एवं असम एसआरएलएम के सीआरपी-ईपी के लिए विपणन कौशल पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित - 19

13. पीएच.डी. शोधार्थियों के दूसरे बैच के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया - 20

14. एनआरएलएम व्यक्ति अध्ययन श्रृंखला - परियोजना 'सहायता': शोक से आजीविका की ओर – सार्वजनिक सेवा वितरण में समुदाय-नेतृत्व वाला एक नवाचार -21

15. एसएयू निदेशकों के लिए वीबी–जी आरएएम जी के अंतर्गत पारदर्शिता एवं जवाबदेही रूपरेखा पर अभिमुखीकरण कार्यशाला -24

16. असम एसआरएलएम के लिए आईएफसी के प्रशिक्षण मॉड्यूलों के अंतिम रूप देने हेतु कार्यशाला -25

17. वीबी–जी आरएएम जी के अंतर्गत पारदर्शिता एवं जवाबदेही रूपरेखा पर राइटशॉप -26

18. एनआईआरडीपीआर में डीएवाई-एनआरएलएम प्रायोजित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया - 27

19. वीबी–जी आरएएम जी के अंतर्गत आजीविका-उन्मुख अवसंरचना पर राष्ट्रीय स्तर की राइटशॉप एवं कार्यशाला -28

20. विद्यार्थी मंच: घरेलू पदानुक्रम से पंचायत तक -29

क्षमता निर्माण के माध्यम से जैव विविधता दिवस का आयोजन: अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के आयोजन पर अनुभव एवं चिंतन

डॉ. ज्योतिस सत्यपालन
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीपीजीएस एवं डीई, एनआईआरडीपीआर
jyothis@nird.gov.in



केरल वन अनुसंधान संस्थान (केएफआरआई), नीलांबुर में एनबीए के सहयोग से एनआईआरडीपीआर द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस समारोह के दौरान डॉ. ज्योतिस सत्यपालन, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष के साथ प्रतिभागी।

प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पृथ्वी के विविध पारिस्थितिक तंत्रों, प्रजातियों और आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण तथा उनके सतत प्रबंधन की आवश्यकता का वैश्विक स्मरण कराता है। यह दिवस वर्ष 1992 में जैव विविधता पर अभिसमय को अपनाए जाने की स्मृति में मनाया जाता है, जो जैव विविधता के संरक्षण तथा भावी पीढ़ियों के लिए इसके सतत उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में वैश्विक प्रयासों का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के क्षमता निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) ने राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) के सहयोग से 22 मई 2026 को केरल के मलप्पुरम जिले के नीलांबुर स्थित केरल वन अनुसंधान संस्थान (केएफआरआई) में अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस समारोह का आयोजन किया । इस कार्यक्रम में जैव विविधता प्रबंधन समिति के सदस्य, स्थानीय सरकार के प्रतिनिधि, वैज्ञानिक, विकास कार्यकर्ता और जैव विविधता विशेषज्ञ एकत्रित हुए, जिन्होंने जैव विविधता संरक्षण के महत्व तथा जलवायु-अनुकूल और सतत ग्रामीण समुदायों के निर्माण में इसकी भूमिका पर विचार-विमर्श किया।

यह समारोह एक व्यापक पहल का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य बीएमसी सदस्यों की क्षमताओं को सुदृढ़ करना था, ताकि वे जैव विविधता अधिनियम, 2002 तथा जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 को प्रभावी ढंग से लागू कर सकें। कार्यक्रम का उद्देश्य जैविक संसाधनों और उनसे संबद्ध पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण, प्रलेखीकरण तथा सतत प्रबंधन के लिए उत्तरदायी स्थानीय संस्थाओं के ज्ञान और कौशल को बढ़ाना था। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ एकीकृत करके प्रतिभागियों को सतत विकास की व्यापक परिकल्पना के अंतर्गत विधायी प्रावधानों, संस्थागत जिम्मेदारियों, वैज्ञानिक ज्ञान और सामुदायिक कार्यों को परस्पर जोड़ने का अवसर प्रदान किया गया।



डॉ. ज्योतिस सत्यपालन प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए



श्रीमती पद्मिनी गोपीनाथ उद्घाटन संबोधन देते हुए

कार्यक्रम का उद्घाटन नीलांबुर नगरपालिका की अध्यक्ष श्रीमती पद्मिनी गोपीनाथ द्वारा किया गया। उन्होंने जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिकीय स्थिरता को बढ़ावा देने में स्थानीय सरकारों और सामुदायिक संस्थाओं के महत्व पर बल दिया। अपने उद्घाटन संबोधन में उन्होंने समुदायों के सामने बढ़ती पर्यावरणीय चुनौतियों को रेखांकित किया और भावी पीढ़ियों के लिए जैविक संसाधनों के संरक्षण हेतु सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा विकास के मार्गों को पर्यावरणीय रूप से सतत बनाए रखने में जैव विविधता प्रबंधन समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

जैव विविधता संरक्षण, वन्यजीव विज्ञान, कृषि, ग्रामीण विकास और जलवायु अनुकूलन जैसे विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की सहभागिता ने कार्यक्रम को समृद्ध बनाया। केरल वन अनुसंधान संस्थान (केएफआरआई) के डॉ. टी. वी. सजीव, भारत के प्रख्यात वन्यजीव वैज्ञानिक एवं केएफआरआई के पूर्व निदेशक डॉ. पी. एस. ईसा, केरल कृषि विश्वविद्यालय (केएयू) के डॉ. संतोष कुमार ए. वी., राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) के डॉ. ज्योतिस सत्यपालन, डॉ. मोनिश जोस तथा सेंटर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट (सीएचआरडी), केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन (केआईएलए) के श्री विनोद और एनआईआरडीपीआर के एसओईपीआर के श्री विनोद कुमार ने जैव विविधता संरक्षण और सामुदायिक संरक्षकता के संबंध में अपने विचार साझा किए।

समारोह में इस बढ़ती हुई मान्यता को रेखांकित किया गया कि जैव विविधता संरक्षण को जलवायु परिवर्तन, आजीविका सुरक्षा और ग्रामीण विकास की चुनौतियों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। पूरी दुनिया में जैव विविधता पर आवासों के क्षरण, संसाधनों के असतत उपयोग, आक्रामक प्रजातियों, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ता दबाव है। ये चुनौतियाँ विशेष रूप से ग्रामीण समुदायों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिनकी आजीविका सीधे तौर पर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है।

कार्यक्रम के प्रमुख विषयों में से एक संरक्षण और सतत विकास के लिए जमीनी स्तर की संस्थाओं के रूप में जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के महत्व पर बल देना था। जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत गठित बीएमसी विकेंद्रीकृत जैव विविधता शासन के लिए सबसे नवीन संस्थागत तंत्रों में से एक हैं। उनका दायित्व केवल संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जैविक संसाधनों का प्रलेखीकरण, सार्वजनिक जैव विविधता रजिस्टर (पीबीआर) तैयार करना, सतत उपयोग की प्रथाओं को बढ़ावा देना तथा पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण भी शामिल है।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिभागियों ने अपने वैधानिक दायित्वों और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता शासन को सुदृढ़ करने के लिए उपलब्ध अवसरों की गहन समझ प्राप्त की। चर्चाओं में इस बात पर जोर दिया गया कि बीएमसी केवल नियामक निकाय नहीं हैं, बल्कि ऐसे संस्थान हैं जो समुदायों को संगठित करने, संरक्षण पहलों को समर्थन देने और स्थानीय विकास योजना में योगदान देने में सक्षम हैं।

कार्यक्रम का एक प्रमुख केंद्र सार्वजनिक जैव विविधता रजिस्टर (पीबीआर) था। प्रतिभागियों को पीबीआर को केवल प्रलेखीकरण की प्रक्रिया के रूप में नहीं, बल्कि सामुदायिक ज्ञान प्रणाली के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। पीबीआर में स्थानीय जैविक संसाधनों, पारंपरिक पारिस्थितिकीय ज्ञान, सांस्कृतिक प्रथाओं,

पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं और आजीविका से जुड़े संबंधों के बारे में जानकारी दर्ज की जाती है। जब इसे प्रभावी रूप से तैयार किया जाता है और समय-समय पर अद्यतन किया जाता है, तो यह संरक्षण योजना, जलवायु अनुकूलन और सतत विकास के लिए एक प्रभावी साधन बन जाता है।

अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस समारोह ने जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 के महत्व पर चर्चा करने का अवसर भी प्रदान किया। प्रतिभागियों ने स्थानीय संस्थाओं, संरक्षण पहलों और जैव विविधता आधारित आर्थिक अवसरों पर इन संशोधनों के प्रभावों पर विचार-विमर्श किया। चर्चाओं में इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया कि संशोधित कानून समुदायों की अधिक भागीदारी को सुगम बनाने के साथ-साथ संरक्षण के परिणामों को सुदृढ़ करने और जैविक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने में किस प्रकार सहायक हो सकता है।

कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण आयाम जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के बीच संबंध था। तकनीकी सत्रों के दौरान प्रतिभागियों ने इस बात का अध्ययन किया कि जैव विविधता जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जोखिमों के प्रति लचीलापन बढ़ाने में किस प्रकार योगदान देती है। स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न प्रकार की सेवाएँ प्रदान करते हैं, जो समुदायों को बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल ढलने में सहायता करती हैं।

जलवायु अनुकूलन और ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों के अनुभवों के आधार पर, चर्चाओं में पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित अनुकूलन दृष्टिकोणों के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला गया। पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्स्थापन, देशी फसल किस्मों का संरक्षण, कृषि वानिकी, जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन, सतत कृषि तथा साझा संपत्ति संसाधनों का संरक्षण ऐसी व्यावहारिक रणनीतियों के रूप में चिन्हित किए गए, जो एक साथ जैव विविधता संरक्षण और जलवायु लचीलेपन को समर्थन प्रदान करती हैं।

कार्यक्रम में जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर-सरकारी विज्ञान-नीति मंच (आईपीबीईएस) द्वारा किए गए वैश्विक जैव विविधता आकलनों से प्राप्त निष्कर्षों को भी प्रतिबिंबित किया गया। इन आकलनों से लगातार यह प्रदर्शित होता है कि जैव विविधता का ह्रास अभूतपूर्व दर से हो रहा है और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यापक एवं परिवर्तनकारी बदलाव आवश्यक हैं। समान रूप से महत्वपूर्ण यह है कि ये आकलन दर्शाते हैं कि जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बनाए रखने में स्थानीय समुदाय, स्वदेशी ज्ञान प्रणालियाँ और विकेंद्रीकृत शासन संस्थाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

ये वैश्विक निष्कर्ष भारत के जैव विविधता शासन ढाँचे के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं। जैव विविधता अधिनियम यह मान्यता प्रदान करता है कि संरक्षण के प्रयास तब अधिक प्रभावी होते हैं, जब समुदाय निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदार बनते हैं। जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ एक ऐसा तंत्र प्रदान करती हैं, जिसके माध्यम से संरक्षण और सतत विकास को समर्थन देने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान, नीतिगत ढाँचे और स्थानीय ज्ञान प्रणालियों को एक साथ लाया जा सकता है।

चर्चाओं में जैव विविधता, आजीविका और गरीबी उन्मूलन के बीच संबंधों पर भी विस्तार से विचार किया गया। जैव विविधता कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, वानिकी, औषधीय पौधों और विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का आधार है। लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए जैविक संसाधन भोजन, आय, रोजगार और लचीलेपन के एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसलिए, जैव विविधता का संरक्षण आजीविका सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देता है।

प्रतिभागियों ने जैव विविधता आधारित उद्यमों और सतत आजीविका पहलों के अवसरों का अध्ययन किया, जिनमें औषधीय पौधों की खेती, गैर-काष्ठ वन उत्पाद, पारिस्थितिकी

पर्यटन, कृषि-पारिस्थितिकीय खेती, जैविक संसाधनों में मूल्यवर्धन तथा समुदाय-आधारित संरक्षण उद्यम शामिल हैं। ऐसी पहलों में आय सृजित करने के साथ-साथ संरक्षण के उद्देश्यों को बढ़ावा देने की क्षमता है।

जैव विविधता संरक्षण में स्थानीय सरकारों की भूमिका एक अन्य महत्वपूर्ण विषय के रूप में सामने आई। प्रतिभागियों ने इस बात पर चर्चा की कि ग्राम पंचायत विकास योजनाओं और नगरपालिका विकास योजनाओं सहित स्थानीय विकास योजना प्रक्रियाओं में जैव विविधता से संबंधित चिंताओं को किस प्रकार एकीकृत किया जा सकता है। जैव विविधता संरक्षण को एक अलग पर्यावरणीय गतिविधि के रूप में नहीं, बल्कि सतत विकास योजना के एक आवश्यक घटक के रूप में प्रस्तुत किया गया।

पूरे कार्यक्रम के दौरान, प्रतिभागियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में पारंपरिक फसल किस्मों, पवित्र उपवनों, आर्द्रभूमियों, जल निकायों, औषधीय पौधों और समुदाय द्वारा प्रबंधित पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण से संबंधित अनुभव साझा किए। इन उदाहरणों ने समुदायों के भीतर विद्यमान स्थानीय ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव की समृद्धता को प्रदर्शित किया तथा जैव विविधता प्रबंधन समितियों के माध्यम से ऐसी पहलों के प्रलेखीकरण और सुदृढ़ीकरण के महत्व को रेखांकित किया।

एनबीए समर्थित क्षमता निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन इस विचार को और सुदृढ़ करता है कि जब संरक्षण कार्यों को जागरूक और सशक्त स्थानीय संस्थाओं का समर्थन प्राप्त होता है, तब संरक्षण अधिक प्रभावी होता है। इसलिए, क्षमता निर्माण का उद्देश्य केवल जानकारी प्रदान करना नहीं है, बल्कि समुदायों को जैव विविधता के सक्रिय संरक्षक और सतत विकास में भागीदार बनने में सक्षम बनाना है।

पूरे कार्यक्रम के दौरान बीएमसी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी ने जैव विविधता संरक्षण और सामुदायिक कार्रवाई के प्रति उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित किया। वैज्ञानिकों, कार्यकर्ताओं, स्थानीय सरकार के प्रतिनिधियों और समुदाय के सदस्यों के बीच हुए संवाद ने ज्ञान के आदान-प्रदान और सामूहिक सीखने के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान किया।

कार्यक्रम के समापन पर प्रतिभागियों ने स्वीकार किया कि जैव विविधता संरक्षण, जलवायु लचीलापन, आजीविका सुरक्षा और सतत विकास आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए स्थानीय सरकारों, जैव विविधता प्रबंधन समितियों, वैज्ञानिक संस्थानों, राज्य जैव विविधता बोर्डों, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और नागरिक समाज संगठनों के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है।

नीलांबुर में आयोजित समारोह ने प्रदर्शित किया कि क्षमता निर्माण कार्यक्रम पारंपरिक प्रशिक्षण से आगे बढ़कर कार्रवाई के लिए प्रेरित करने और जैव विविधता संरक्षण के प्रति सामुदायिक स्वामित्व को सुदृढ़ करने के मंच बन सकते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान, नीतिगत जागरूकता, व्यावहारिक अनुभवों और सामुदायिक भागीदारी को एक साथ जोड़कर इस कार्यक्रम ने जमीनी स्तर पर जैव विविधता शासन के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने में योगदान दिया।

कार्यक्रम से उभरने वाला संदेश स्पष्ट था: जैव विविधता संरक्षण केवल प्रकृति की रक्षा करने तक सीमित नहीं है; यह सतत आजीविका सुनिश्चित करने, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन सुदृढ़ करने, गरीबी कम करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने से संबंधित है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के सहयोग से सशक्त जैव विविधता प्रबंधन समितियों और निरंतर क्षमता निर्माण प्रयासों के माध्यम से स्थानीय समुदाय इन लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा सतत और समावेशी विकास के भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकते हैं।

स्रोत व्यक्तियों एवं एसआरएलएम पदाधिकारियों के लिए लोकओएस (LokOS) एप्लिकेशन पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण



हैदराबाद स्थित एनआईआरडीपीआर में डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत स्रोत व्यक्तियों और एसआरएलएम के पदाधिकारियों के लिए लोकओएस एप्लीकेशन पर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) में डॉ. रविंद्र एस. गवली, प्रोफेसर एवं प्रमुख, सीएनआरएम, सीसीएंडडीएम; डॉ. ज्योति प्रकाश महंती, उप निदेशक, एनआरएलएम रिसोर्स सेल; तथा श्री आर. रवि नायडू, मिशन एक्जीक्यूटिव, एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद के साथ प्रतिभागी।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद ने डीएवाई-एनआरएलएम रिसोर्स सेल के माध्यम से डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत संसाधन व्यक्तियों और एसआरएलएम के पदाधिकारियों के लिए लोकओएस एप्लीकेशन पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) 13 से 16 मई 2026 तक संस्थान परिसर में आयोजित किया।

कार्यक्रम का उद्देश्य संसाधन व्यक्तियों और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के पदाधिकारियों की क्षमता को सुदृढ़ करना था, ताकि वे डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत सामुदायिक संस्थाओं की निगरानी, रिपोर्टिंग और प्रबंधन में सहायता प्रदान करने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म लोकओएस एप्लीकेशन का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें। प्रशिक्षण में प्रतिभागियों की एप्लीकेशन की विभिन्न सुविधाओं की समझ को बेहतर बनाने तथा जमीनी स्तर पर इसके उपयोग को सुगम बनाने की उनकी क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

सत्रों में लोकओएस प्लेटफॉर्म के प्रमुख मॉड्यूलों को शामिल किया गया, जिनमें डेटा प्रविष्टि, सत्यापन, रिपोर्टिंग प्रणाली, प्रदर्शन निगरानी, वित्तीय अनुश्रवण तथा स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और उनके संघों का प्रबंधन शामिल था। संसाधन व्यक्तियों ने प्लेटफॉर्म के व्यावहारिक उपयोग का प्रदर्शन किया और ग्रामीण आजीविका तंत्र में डेटा की गुणवत्ता, पारदर्शिता तथा साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया में इसकी भूमिका को रेखांकित किया।

कार्यक्रम में प्रदर्शन, व्यावहारिक अभ्यास, अनुकरण तथा अनुभव-साझाकरण सत्रों के माध्यम से व्यावहारिक एवं सहभागितापूर्ण शिक्षण पद्धति अपनाई गई। प्रतिभागियों ने एप्लीकेशन के व्यावहारिक उपयोग का अनुभव प्राप्त किया तथा डिजिटल डेटा प्रबंधन और निगरानी प्रणालियों से संबंधित जमीनी स्तर की चुनौतियों और उनके समाधानों पर चर्चा की।

प्रशिक्षण ने विभिन्न राज्यों से आए प्रतिभागियों के बीच सहकर्मी अधिगम और ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए भी एक मंच प्रदान किया, जिससे उन्हें डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत डिजिटल शासन उपकरणों के कार्यान्वयन में अपने अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने का अवसर मिला।

कार्यक्रम का समापन इस विश्वास के साथ हुआ कि प्रतिभागी लोकओएस एप्लीकेशन का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने तथा कार्यक्रम प्रबंधन और सेवा वितरण को सुदृढ़ करने के लिए इसके व्यापक उपयोग को समर्थन देने में सक्षम होंगे।

डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत व्यक्तिगत उद्यम ऋण आवेदन (आईईएलए) पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया



डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत व्यक्तिगत उद्यम ऋण आवेदन *(आईईएलए)* पर डॉ. रविंद्र एस. गवली, प्रोफेसर एवं प्रमुख, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा न्यूनीकरण केंद्र *(सीएनआरएम, सीसी एवं डीएम)*, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद के साथ प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण *(टीओटी)* के प्रतिभागी।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद ने डीएवाई-एनआरएलएम रिसोर्स सेल के माध्यम से डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत व्यक्तिगत उद्यम ऋण आवेदन (आईईएलए) पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) 5 से 7 मई 2026 तक संस्थान परिसर में आयोजित किया।

कार्यक्रम का उद्देश्य दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत उद्यम विकास और ऋण तक पहुंच को बढ़ावा देने में संलग्न राज्य एवं जिला स्तर के पदाधिकारियों की क्षमताओं को सुदृढ़ करना था। प्रशिक्षण में प्रतिभागियों की आईईएलए प्रक्रिया संबंधी समझ को बढ़ाने तथा संस्थागत ऋण प्राप्त करने के इच्छुक ग्रामीण उद्यमियों के लिए सहायता तंत्र को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

सत्रों में उद्यम की पहचान, ऋण आवेदनों की तैयारी और मूल्यांकन, ऋण संबद्धता प्रक्रियाओं, वित्तीय साक्षरता, जोखिम आकलन तथा ऋणोत्तर सहायता के प्रमुख पहलुओं को शामिल किया गया। संसाधन व्यक्तियों ने सतत आजीविका और आय सृजन को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों और ग्रामीण उद्यमियों को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के महत्व पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम में तकनीकी सत्रों, केस स्टडी, समूह चर्चाओं और अनुभव-साझाकरण अभ्यासों के माध्यम से सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया। प्रतिभागियों ने उद्यम वित्तपोषण से संबंधित जमीनी स्तर की चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया और डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत ऋण तक पहुंच को सुदृढ़ करने तथा उद्यम संवर्धन के लिए व्यावहारिक रणनीतियों का पता लगाया।

प्रशिक्षण ने परस्पर सीखने और क्षमता निर्माण के लिए एक मंच प्रदान किया, जिससे प्रतिभागी ग्रामीण उद्यमियों को अधिक प्रभावी ढंग से सहायता प्रदान करने और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों के विस्तार में योगदान देने में सक्षम हो सके।

डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत एफएनएचडब्ल्यू इमर्शन साइट्स के विकास हेतु प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्रों पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया





डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत एफएनएचडब्ल्यू इमर्शन साइटों के विकास के लिए प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्रों पर डॉ. रविंद्र एस. गवली, प्रोफेसर एवं प्रमुख, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा न्यूनीकरण केंद्र के साथ प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) के प्रतिभागी।

राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई (एनएमएमयू), डीएवाई-एनआरएलएम, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद के सहयोग से 4 से 9 मई 2026 तक खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य एवं वॉश (एफएनएचडब्ल्यू) इमर्शन साइट विकास पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) आयोजित किया। कार्यक्रम का आयोजन रोशनी सेंटर और पीसीआई इंडिया के तकनीकी सहयोग से किया गया।

हिंदी और अंग्रेजी में आयोजित चार द्विभाषी बैचों के माध्यम से 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 117 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत समुदाय-आधारित खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य एवं वॉश (एफएनएचडब्ल्यू) पहलों को सुदृढ़ करना था, जिसमें अभिसरण, व्यवहार परिवर्तन संचार, पोषण-संवेदनशील आजीविका तथा एफएनएचडब्ल्यू इमर्शन साइटों को सीखने और प्रदर्शन के केंद्रों के रूप में विकसित करने को बढ़ावा देना शामिल था।

उद्घाटन सत्र में डॉ. रविंद्र एस. गवली, प्रोफेसर एवं प्रमुख, डीएवाई-एनआरएलएम रिसोर्स सेल, एनआईआरडीपीआर; सुश्री वसुधा शुक्ला, नेशनल मिशन मैनेजर, डीएवाई-एनआरएलएम, ग्रामीण विकास मंत्रालय; तथा श्री वेंकटेश्वर राव, एमएम–आईबीसीबी एवं एसआईएसडी, डीएवाई-एनआरएलएम रिसोर्स सेल द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया गया। वक्ताओं ने पोषण और स्वास्थ्य संबंधी परिणामों में सुधार लाने के लिए सामुदायिक संस्थाओं, अभिसरण तथा सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार (एसबीसीसी) के महत्व पर जोर दिया तथा समुदाय-आधारित पहलों के माध्यम से एफएनएचडब्ल्यू परिणामों को सुदृढ़ करने के लिए अनुभवों और नवोन्मेषी दृष्टिकोणों को साझा किया।

कार्यक्रम में विषयगत चर्चाओं, व्यक्ति अध्ययन, समूह अभ्यासों और अनुभव-साझाकरण सत्रों के माध्यम से सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया। प्रतिभागियों ने इमर्शन साइटों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, उत्कृष्ट पद्धतियों के प्रलेखीकरण तथा स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और सामुदायिक संस्थाओं के बीच सहकर्मी अधिगम को बढ़ावा देने की रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया।

प्रशिक्षण में पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी चुनौतियों का समग्र रूप से समाधान करने के लिए विभिन्न विभागों और समुदाय-आधारित संगठनों के बीच अभिसरण के महत्व पर भी जोर दिया गया। प्रतिभागियों ने जमीनी स्तर पर एफएनएचडब्ल्यू पहलों की योजना बनाने, कार्यान्वयन, निगरानी और विस्तार के संबंध में व्यावहारिक जानकारी प्राप्त की।

कार्यक्रम का समापन प्रतिभागियों द्वारा अपने-अपने राज्यों में एफएनएचडब्ल्यू इमर्शन साइटों को सुदृढ़ करने और स्वास्थ्य, पोषण तथा कल्याण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए समुदाय-आधारित दृष्टिकोणों को सुदृढ़ करने हेतु कार्ययोजनाएँ तैयार करने के साथ हुआ।

डीएवाई-एनआरएलएम में जोखिम-आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण



समूह चित्र में डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा पर डॉ. यू. हेमंत कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख, सीआईएआरडी के साथ प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) के प्रतिभागी।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद ने ग्रामीण विकास में आंतरिक लेखा परीक्षा केंद्र (सीआईएआरडी) के माध्यम से डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) 04 से 08 मई 2026 तक संस्थान परिसर में आयोजित किया।

कार्यक्रम का उद्देश्य दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत पारदर्शिता, जवाबदेही और वित्तीय शासन को सुदृढ़ करने के लिए जोखिम-आधारित लेखा परीक्षा दृष्टिकोण अपनाने में आंतरिक लेखा परीक्षकों, प्रशिक्षकों और मिशन पदाधिकारियों की क्षमताओं को सुदृढ़ करना था। इसमें विभिन्न राज्यों से प्रतिभागियों को एक साथ लाया गया, ताकि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में जोखिम प्रबंधन और आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणालियों की एक समान समझ विकसित की जा सके।

प्रशिक्षण में जोखिम की पहचान और आकलन, लेखा परीक्षा की योजना, आंतरिक नियंत्रण तंत्र, अनुपालन निगरानी, वित्तीय प्रबंधन, धोखाधड़ी के जोखिम को कम करना तथा रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। संसाधन व्यक्तियों ने डीएवाई-एनआरएलएम के विभिन्न स्तरों पर संस्थागत दक्षता में सुधार और शासन संरचनाओं को सुदृढ़ करने के लिए कार्यक्रम के कार्यान्वयन में जोखिम-आधारित लेखा परीक्षा प्रथाओं को एकीकृत करने के महत्व पर जोर दिया।

बातचीत सत्रों, व्यक्ति अध्ययन, समूह अभ्यासों और व्यावहारिक प्रदर्शनों के माध्यम से प्रतिभागियों को लेखा परीक्षा उपकरणों, जोखिम आकलन रूपरेखाओं और निगरानी पद्धतियों का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने में सहायता मिली। चर्चाओं में आंतरिक लेखा परीक्षा के दौरान सामने आने वाली सामान्य चुनौतियों पर भी विचार किया गया तथा जवाबदेही में सुधार, अनुपालन सुनिश्चित करने और सामुदायिक संस्थाओं एवं मिशन संरचनाओं के भीतर वित्तीय निगरानी को सुदृढ़ करने की रणनीतियों पर चर्चा की गई।

कार्यक्रम ने ज्ञान-साझाकरण और सहकर्मी अधिगम के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया, जिससे प्रतिभागियों को अपने-अपने राज्यों के अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करने का अवसर मिला। सूचित निर्णय लेने में सहायता करने, कार्यक्रम के प्रदर्शन में सुधार करने और संस्थागत संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में आंतरिक लेखा परीक्षा की भूमिका पर भी जोर दिया गया।

एनआईआरडीपीआर में विकसित भारत–रोज़गार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया



एनआईआरडीपीआर के मजदूरी रोजगार एवं आजीविका केंद्र (सीडब्ल्यूईएल) के डॉ. वी. सुरेश बाबू, एसोसिएट प्रोफेसर और संकाय सदस्यों के साथ प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) के प्रतिभागी।

ग्रामीण आजीविका और रोजगार कार्यक्रमों में कार्यरत मास्टर प्रशिक्षकों तथा जमीनी स्तर के पदाधिकारियों की क्षमताओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद ने अपने मजदूरी रोजगार एवं आजीविका केंद्र (सीडब्ल्यूईएल) के माध्यम से 20–21 मई 2026 को विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) [वीबी–जी आरएएम जी] अधिनियम, 2025 पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) आयोजित किया।

कार्यक्रम का उद्देश्य मजदूरी रोजगार और आजीविका पहलों के कार्यान्वयन में शामिल मास्टर प्रशिक्षकों और कार्यक्रम पदाधिकारियों की क्षमताओं को सुदृढ़ करना था। इसमें विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के उद्देश्यों, प्रावधानों और कार्यान्वयन ढाँचे के संबंध में प्रतिभागियों की समझ को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें सतत आजीविका को बढ़ावा देने और समावेशी ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया।

सत्रों में रोजगार सृजन, आजीविका संवर्धन, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का अभिसरण, सामुदायिक लामबंदी, सहभागी योजना तथा प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संस्थागत तंत्र जैसे प्रमुख विषयों को शामिल किया गया। चर्चाओं में जमीनी स्तर की संस्थाओं को सुदृढ़ करने, सेवा वितरण में सुधार करने तथा विकास प्रक्रियाओं में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने की रणनीतियों पर भी प्रकाश डाला गया।

बातचीत सत्रों, समूह अभ्यासों, व्यक्ति अध्ययन और अनुभव-साझाकरण गतिविधियों के माध्यम से प्रतिभागियों को जमीनी स्तर के अनुभवों का आदान-प्रदान करने तथा कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों के समाधान के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण तलाशने का अवसर मिला। कार्यक्रम ने नवोन्मेषी पद्धतियों पर चर्चा करने और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका एवं रोजगार संबंधी पहलों को सुदृढ़ करने के लिए रणनीतियाँ विकसित करने हेतु एक मंच भी प्रदान किया।

इस प्रशिक्षण से ऐसे प्रशिक्षकों का एक मजबूत समूह तैयार करने में योगदान मिलने की अपेक्षा है, जो देशभर में मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन में सहयोग करने तथा ग्रामीण समुदायों के लिए सतत आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने में सक्षम होंगे।

एसआरएलएम के विकास कार्यकर्ताओं के लिए नेतृत्व कौशल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम



डॉ. आर. मुरुगेसन, निदेशक, एनईआरसी, एनआईआरडीपीआर तथा डॉ. लखन सिंह, सहायक प्रोफेसर, सीएचआरडी, एनआईआरडीपीआर के साथ एसआरएलएम के विकास पेशेवरों के लिए नेतृत्व कौशल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी।

विकास संबंधी परिणामों को प्राप्त करने में प्रभावी नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हुए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद ने अपने मानव संसाधन विकास केंद्र (सीएचआरडी) के माध्यम से 19–22 मई 2026 तक एसआरएलएम के विकास पेशेवरों के लिए नेतृत्व कौशल पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

कार्यक्रम का उद्देश्य देशभर में ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में संलग्न पेशेवरों की नेतृत्व, प्रबंधकीय और पारस्परिक दक्षताओं को सुदृढ़ करना था। इसका उद्देश्य प्रतिभागियों को टीमों का प्रभावी ढंग से नेतृत्व करने, संगठनात्मक चुनौतियों का प्रबंधन करने, नवाचार को बढ़ावा देने और गतिशील विकासात्मक परिस्थितियों में कार्यक्रम के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कौशल से सुसज्जित करना था।

प्रशिक्षण में नेतृत्व शैली, रणनीतिक सोच, संचार एवं वार्ता कौशल, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, टीम निर्माण, संघर्ष समाधान, निर्णय लेने तथा कार्य-निष्पादन प्रबंधन सहित विभिन्न विषयों को शामिल किया गया। संसाधन व्यक्तियों ने विकास संबंधी उद्देश्यों को प्राप्त करने में अनुकूलनशील नेतृत्व, सहयोगात्मक दृष्टिकोण और हितधारकों के प्रभावी जुड़ाव के महत्व पर जोर दिया।

बातचीत सत्रों, व्यक्ति अध्ययनों, समूह चर्चाओं, अनुकरण अभ्यासों और अनुभव-साझाकरण सत्रों के माध्यम से प्रतिभागियों ने कार्यस्थल की चुनौतियों के समाधान और संस्थागत प्रभावशीलता में सुधार के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोणों का अध्ययन किया। कार्यक्रम ने विभिन्न क्षेत्रीय संदर्भों से प्राप्त नेतृत्व अनुभवों पर सहकर्मी अधिगम और चिंतन के अवसर भी प्रदान किए।

प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण की व्यावहारिक और अनुभवात्मक प्रकृति की सराहना की तथा कहा कि सत्रों से उनके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमताओं में वृद्धि हुई। अधिक प्रभावी प्रबंधन और टीम सहभागिता के माध्यम से यह कार्यक्रम संस्थागत नेतृत्व को सुदृढ़ करने और ग्रामीण आजीविका पहलों के बेहतर कार्यान्वयन में योगदान देने की अपेक्षा है।

स्थानीय शासन में महिला नेतृत्व पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण



डॉ. अंजन कुमार भांजा, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख, सीईसीपीआरडीपी एवं एसएसडी, एनआईआरडीपीआर के साथ "परिवर्तन के अग्रदूत: स्थानीय शासन में महिला नेताओं को सशक्त बनाना" विषय पर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण *(टीओटी)* कार्यक्रम के प्रतिभागी।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद ने अपने पंचायती राज उत्कृष्टता विद्यालय (एसओईपीआर) के माध्यम से "परिवर्तन के अग्रदूत: स्थानीय शासन में महिला नेताओं को सशक्त बनाना" विषय पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम 18–22 मई 2026 तक संस्थान परिसर में आयोजित किया।

कार्यक्रम में राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षक (एसएलएमटी) और जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर (डीएलएमटी) टीमों के सदस्यों को एक साथ लाया गया, जिसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में महिला नेताओं के मार्गदर्शन, परामर्श और सहयोग के लिए उनकी क्षमताओं को सुदृढ़ करना था। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय शासन में महिलाओं की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देना तथा जमीनी स्तर पर निर्णय लेने और ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं में उनकी भूमिका को सुदृढ़ करना था।

प्रशिक्षण में प्रतिभागियों की जेंडर उत्तरदायी शासन, महिला नेतृत्व, सामाजिक समावेशन, सामुदायिक लामबंदी और सहभागी योजना के संबंध में समझ को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। सत्रों में नेतृत्व विकास, संचार एवं सुगमीकरण कौशल, संघर्ष समाधान तथा स्थानीय शासन संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की सार्थक भागीदारी को बढ़ावा देने की रणनीतियों पर भी चर्चा की गई। बातचीत सत्रों, समूह चर्चाओं, व्यक्ति अध्ययन, भूमिका निर्वहन तथा अनुभव-साझाकरण सत्रों के माध्यम से प्रतिभागियों ने महिला नेताओं के सामने आने वाली चुनौतियों का अध्ययन किया और प्रभावी भागीदारी एवं नेतृत्व में आने वाली बाधाओं को दूर करने के व्यावहारिक उपायों पर चर्चा की। कार्यक्रम ने जमीनी स्तर पर महिलाओं के सशक्तीकरण और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों की सफल पहलों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने हेतु एक मंच भी प्रदान किया।

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के संचालन में सक्षम प्रशिक्षकों का एक समूह तैयार करने तथा समावेशी और जवाबदेह शासन को बढ़ावा देने वाले संस्थागत तंत्रों को समर्थन प्रदान करने पर विशेष जोर दिया गया। प्रतिभागियों को महिला नेतृत्व को सुदृढ़ करने और स्थानीय विकास पहलों में उनके योगदान को बढ़ाने के लिए कार्रवाई-उन्मुख दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

मास्टर प्रशिक्षकों को आवश्यक ज्ञान, उपकरण और सुगमीकरण कौशल से सुसज्जित करके, कार्यक्रम का उद्देश्य महिला नेताओं के लिए एक सुदृढ़ सहायता प्रणाली तैयार करना तथा पूरे ग्रामीण भारत में अधिक समावेशी, जवाबदेह और प्रभावी स्थानीय शासन में योगदान देना था।

एनआईआरडीपीआर में डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत जेंडर मॉड्यूल पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण



डॉ. रविंद्र एस. गवली, प्रोफेसर एवं प्रमुख, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा न्यूनीकरण केंद्र (सीएनआरएम, सीसीडीएम) तथा निदेशक, डीएवाई-एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ, एनआईआरडीपीआर के साथ डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत जेंडर मॉड्यूल पर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के प्रतिभागी।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद ने अपने डीएवाई-एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ के माध्यम से दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत जेंडर मॉड्यूल पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) 18–22 मई 2026 तक आयोजित किया।

कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षकों और विकास कार्यकर्ताओं की क्षमताओं को सुदृढ़ करना था, ताकि ग्रामीण आजीविका पहलों और सामुदायिक संस्थाओं में लैंगिक दृष्टिकोण को मुख्यधारा में शामिल किया जा सके। इसमें प्रतिभागियों की लैंगिक उत्तरदायी कार्यक्रम-निर्माण के संबंध में समझ को बढ़ाने और ग्रामीण विकास के लिए समावेशी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

प्रशिक्षण में जेंडर समानता, सामाजिक समावेशन, महिला सशक्तीकरण, जेंडर संवेदनशील योजना, संस्थागत सुदृढ़ीकरण तथा डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सहभागी कार्य-पद्धतियों जैसे प्रमुख विषयों को शामिल किया गया। स्रोत व्यक्तियों ने जेंडर आधार पर उत्पन्न बाधाओं को दूर करने तथा आजीविका और विकास संबंधी पहलों में समान भागीदारी को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया।

बातचीत सत्रों, समूह चर्चाओं, व्यक्ति अध्ययन और अनुभव-साझाकरण अभ्यासों के माध्यम से प्रतिभागियों ने कार्यक्रम के डिजाइन, कार्यान्वयन और निगरानी में जेंडर सरोकारों को एकीकृत करने के व्यावहारिक दृष्टिकोणों का अध्ययन किया। कार्यक्रम ने विभिन्न राज्यों में जेंडर दृष्टिकोण पर केंद्रित सफल पहलों के क्षेत्रीय अनुभवों को साझा करने और उनसे सीखने के लिए एक मंच भी प्रदान किया।

प्रतिभागियों ने कार्यक्रम की व्यावहारिक अभिविन्यास और प्रासंगिकता की सराहना की तथा कहा कि इससे डीएवाई-एनआरएलएम के ढाँचे के अंतर्गत ग्रामीण आजीविका, सामुदायिक संस्थाओं और महिला नेतृत्व को सुदृढ़ करने के लिए लैंगिक उत्तरदायी रणनीतियों को बढ़ावा देने की उनकी क्षमता में वृद्धि हुई।

गुणवत्तापूर्ण ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने पर 3-दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया



डॉ. अंजन कुमार भांजा, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख, सीपीआरडीपी एवं एसएसडी, एनआईआरडीपीआर, गुणवत्ता युक्त जीपीडीपी तैयार करने पर 3-दिवसीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) के प्रतिभागियों के साथ।

गुणवत्तापूर्ण ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) की तैयारी पर 3-दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) – बैच II का आयोजन पंचायती राज उत्कृष्टता विद्यालय (एसओईपीआर), एनआईआरडीपीआर द्वारा 20–22 मई 2026 तक विकेंद्रीकृत और सहभागी योजना निर्माण में प्रशिक्षकों तथा पंचायती राज पदाधिकारियों की क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षकों और पंचायती राज पदाधिकारियों की क्षमताओं को सुदृढ़ करना था, ताकि वे साक्ष्य-आधारित, सहभागी और समावेशी ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण प्रक्रियाओं को सुगम बना सकें। इसमें जीपीडीपी की तैयारी, सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के स्थानीयकरण, संसाधन मानचित्रण, सहभागी आवश्यकताओं के आकलन तथा जमीनी स्तर पर विकास कार्यक्रमों के अभिसरण के संबंध में प्रतिभागियों की समझ को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

सत्रों में विकेंद्रीकृत योजना निर्माण, डेटा-आधारित निर्णय लेने, हितधारकों की भागीदारी, गुणवत्तापूर्ण जीपीडीपी तैयार करने तथा सामुदायिक प्राथमिकताओं को स्थानीय विकास योजनाओं में एकीकृत करने की रणनीतियों के प्रमुख पहलुओं को शामिल किया गया। संसाधन व्यक्तियों ने ग्राम पंचायत स्तर पर योजना निर्माण और कार्यान्वयन की प्रभावशीलता में सुधार के लिए उत्कृष्ट पद्धतियों, नीतिगत दृष्टिकोणों और व्यावहारिक उपायों पर प्रकाश डाला।

चर्चाओं, समूह अभ्यासों, व्यक्ति अध्ययन और अनुभव-साझाकरण सत्रों के माध्यम से प्रतिभागियों ने योजना निर्माण की कार्य-पद्धतियों के संबंध में व्यावहारिक जानकारी प्राप्त की और अपने सुगमीकरण कौशल को सुदृढ़ किया। कार्यक्रम ने विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए प्रतिभागियों के बीच अनुभवों के आदान-प्रदान और सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक मंच भी प्रदान किया।

प्रशिक्षण से अधिक व्यापक, समावेशी और परिणामोन्मुखी ग्राम पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी में योगदान मिलने की अपेक्षा है, जिससे प्रभावी स्थानीय शासन और सतत ग्रामीण विकास को समर्थन मिलेगा।

एनआईआरडीपीआर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए डीएवाई-एनआरएलएम के कौशल विकास कार्यक्रमों का उद्घाटन











जूट एवं कपड़ा उत्पाद निर्माण तथा घरेलू सफाई एवं स्वच्छता उत्पाद निर्माण कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की महिला प्रतिभागियों ने व्यावहारिक प्रशिक्षण गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद ने अपने डीएवाई-एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ के माध्यम से 18 मई 2026 को ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी) में डीएवाई-एनआरएलएम प्रायोजित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों 2026–27 का उद्घाटन किया।

कुल 94 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की महिलाएँ जूट एवं कपड़ा उत्पाद निर्माण तथा घरेलू सफाई एवं स्वच्छता उत्पाद निर्माण पर दो विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग ले रही हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य प्रतिभागियों को व्यावहारिक कौशल, उद्यमशीलता संबंधी ज्ञान और बाजारोन्मुखी उत्पादन तकनीकों से सुसज्जित करना है, ताकि उनके आजीविका के अवसरों में वृद्धि हो सके।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्घाटन डॉ. रविंद्र एस. गवली, प्रोफेसर एवं प्रमुख, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा न्यूनीकरण केंद्र (सीएनआरएम, सीसीडीएम) तथा निदेशक, डीएवाई-एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ, एनआईआरडीपीआर द्वारा किया गया। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उन्होंने महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को सुदृढ़ करने और सतत आजीविका को बढ़ावा देने में कौशल विकास तथा उद्यम संवर्धन के महत्व पर प्रकाश डाला।

इन कार्यक्रमों में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की महिलाओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण, उत्पाद विकास कौशल, गुणवत्ता सुधार तकनीकों तथा उद्यम विकास सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ताकि वे आय-सृजन गतिविधियाँ स्थापित और विस्तारित कर सकें। प्रतिभागियों को उनके चुने हुए व्यवसायों से संबंधित व्यवसाय योजना, विपणन रणनीतियों और मूल्यवर्धन की प्रथाओं का भी अनुभव प्राप्त होगा।

ये पहल कौशल-आधारित हस्तक्षेपों के माध्यम से महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा देने, आजीविका में विविधता लाने तथा ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण को सुदृढ़ करने के लिए डीएवाई-एनआरएलएम की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

पीएसीसीएस के व्यवसाय विविधीकरण एवं कम्प्यूटरीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम





डॉ. ज्योतिस सत्यपालन, प्रोफेसर एवं प्रमुख, सीपीजीएस एवं डीई; डॉ. आर्यश्री देबप्रिय, एसोसिएट प्रोफेसर, सीपीजीएस एवं डीई; तथा श्री ए. परशुरामुडु, पुस्तकालय एवं सूचना सहायक, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद के साथ व्यवसाय विविधीकरण के अवसरों और प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पीएसीसीएस) के कम्प्यूटरीकरण की उत्कृष्ट पद्धतियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद ने अपने स्नातकोत्तर अध्ययन एवं दूरस्थ शिक्षा केंद्र (सीपीजीएस एंड डीई) के माध्यम से प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पीएसीसीएस) और बड़े क्षेत्र बहुउद्देशीय सहकारी समितियों (एलएएमपीसीएस) के अध्यक्षों, निदेशक मंडल के सदस्यों तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए व्यवसाय विविधीकरण के अवसरों और पीएसीसीएस के कम्प्यूटरीकरण की उत्कृष्ट पद्धतियों पर दो प्रशिक्षण कार्यक्रम 04–08 मई 2026 और 18–22 मई 2026 को संस्थान परिसर में आयोजित किए।

ओडिशा सरकार के सहकारिता विभाग द्वारा प्रायोजित इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं के नेताओं की प्रबंधकीय और परिचालन क्षमताओं को सुदृढ़ करना तथा बेहतर शासन और सेवा वितरण के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देना था।

सत्रों में व्यवसाय विविधीकरण, सहकारी प्रबंधन, वित्तीय स्थिरता, डिजिटल परिवर्तन, कम्प्यूटरीकरण और सदस्य-केंद्रित सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। संसाधन व्यक्तियों ने कृषि-व्यवसाय, मूल्यवर्धन, विपणन और प्रौद्योगिकी-सक्षम सहकारी प्रबंधन के सफल मॉडलों तथा उत्कृष्ट पद्धतियों को साझा किया।

बातचीत सत्रों, व्यक्ति अध्ययन, समूह चर्चाओं और अनुभव-साझाकरण अभ्यासों के माध्यम से प्रतिभागियों को जमीनी स्तर के अनुभवों का आदान-प्रदान करने तथा पीएसीसीएस और एलएएमपीसीएस के सामने आने वाली चुनौतियों के व्यावहारिक समाधान तलाशने का अवसर मिला। कार्यक्रमों ने सहकारी व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार, सदस्य सेवाओं को सुदृढ़ करने तथा संस्थागत विकास के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की।

प्रतिभागियों ने कार्यक्रमों के व्यावहारिक दृष्टिकोण की सराहना की और कहा कि प्रशिक्षण से प्राप्त सीख उन्हें सहकारी शासन को सुदृढ़ करने, व्यावसायिक गतिविधियों में विविधता लाने तथा सदस्यों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार करने में सहायता करेगी। प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने ओडिशा में सहकारी संस्थाओं में नवाचार, क्षमता निर्माण और दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य किया।

एनआईआरडीपीआर दिल्ली शाखा द्वारा त्रिपुरा एवं असम एसआरएलएम के सीआरपी-ईपी के लिए विपणन कौशल पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित





समूह चित्र में विपणन कौशल पर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण *(टीओटी)* कार्यक्रम के प्रतिभागी और स्रोत व्यक्ति।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) की दिल्ली शाखा के ग्रामीण उत्पाद एवं उद्यमिता विकास के विपणन एवं संवर्धन केंद्र (सीएमपीआरपीईडी) ने त्रिपुरा एसआरएलएम और असम एसआरएलएम के सामुदायिक संसाधन व्यक्ति–उद्यम संवर्धन (सीआरपीईपी) के लिए गैर-कृषि क्षेत्र में विपणन कौशल पर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) के दो कार्यक्रम एनईआरसी-एनआईआरडीपीआर परिसर, गुवाहाटी में आयोजित किए। त्रिपुरा कार्यक्रम 13–15 मई 2026 तक, जबकि असम कार्यक्रम 18–20 मई 2026 तक आयोजित किया गया।

इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सीआरपी-ईपी को मास्टर प्रशिक्षकों के रूप में विकसित करना था, जो स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की विपणन क्षमताओं को सुदृढ़ करने में सक्षम हों। प्रशिक्षण में ब्रांडिंग, उत्पाद डिजाइन एवं पैकेजिंग, मूल्य श्रृंखला विकास, मूल्य निर्धारण रणनीतियाँ, बिक्री संचार, ई-विपणन, सोशल मीडिया प्रचार, वित्तीय समावेशन और जीएसटी से संबंधित मुद्दों जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रतिभागियों ने ग्रामीण उद्यमों के सामने आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों के समाधान के लिए समूह अभ्यासों और विपणन योजना तैयार करने की गतिविधियों में भी भाग लिया।

सत्रों का समन्वय श्री चिरंजी लाल, सहायक निदेशक, सीएमपीआरपीईडी, एनआईआरडीपीआर दिल्ली शाखा द्वारा किया गया, जिसमें डॉ. एम. के. श्रीवास्तव, डॉ. रत्ना भुइयाँ, श्री अश्विनी भट्टाचार्य, श्री आदर्श अग्रवाल, श्री सुधीर कुमार सिंह और श्री सुरेश प्रसाद सहित विशेषज्ञों का योगदान रहा।

त्रिपुरा के सभी आठ जिलों से कुल 41 सीआरपी-ईपी तथा असम के विभिन्न जिलों से 40 सीआरपी-ईपी ने इन आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

अनुभवात्मक अधिगम के एक घटक के रूप में, त्रिपुरा के प्रतिभागियों ने गुवाहाटी स्थित राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) का दौरा किया, जबकि असम के प्रतिभागियों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में कारीगरों, बुनकरों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और ग्रामीण उद्यमियों के लिए एक प्रमुख विपणन मंच, नेडफी हाट का एक्सपोजर विजिट किया। इन दौरों से सफल विपणन मॉडलों और सर्वोत्तम प्रथाओं की व्यावहारिक जानकारी प्राप्त हुई।

कार्यक्रमों का समापन फीडबैक सत्रों और प्रमाण-पत्र वितरण के साथ हुआ। इन प्रशिक्षणों से सीआरपी-ईपी की क्षमता को सुदृढ़ करने की अपेक्षा है, ताकि वे स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को निरंतर मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान कर सकें, उत्पादों के विपणन को बढ़ावा दे सकें, ब्रांडिंग और प्रचार रणनीतियों में सुधार कर सकें तथा ग्रामीण उद्यमों की स्थिरता और विकास में योगदान दे सकें।

Orientation Programme Conducted for Second Batch of PhD Scholars



पीएचडी छात्र अभिमुखीकरण कार्यक्रम – द्वितीय बैच के दौरान संकाय सदस्यों के साथ नवप्रवेशित पीएचडी शोधार्थी

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद ने नवप्रवेशित शोधार्थियों के लिए 06 मई 2026 को पीएचडी छात्र अभिमुखीकरण कार्यक्रम – द्वितीय बैच आयोजित किया।

कार्यक्रम का उद्देश्य शोधार्थियों को एनआईआरडीपीआर में उपलब्ध शैक्षणिक ढाँचे, अनुसंधान प्रक्रियाओं, संस्थागत सुविधाओं और सहायता प्रणालियों से परिचित कराना था। इसमें संस्थान की अनुसंधान संस्कृति, शैक्षणिक अपेक्षाओं तथा अंत:विषयक अधिगम और सहयोग के अवसरों का अवलोकन प्रस्तुत किया गया।

संकाय सदस्यों ने शोधार्थियों के साथ संवाद किया और डॉक्टरेट अनुसंधान के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला, जिनमें अनुसंधान नैतिकता, शैक्षणिक कठोरता, प्रकाशन संबंधी आवश्यकताएँ तथा साक्ष्य-आधारित अनुसंधान के माध्यम से समकालीन ग्रामीण विकास की चुनौतियों का समाधान करने का महत्व शामिल था।

अभिमुखीकरण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को संस्थान के शैक्षणिक संसाधनों, पुस्तकालय सुविधाओं, अनुसंधान केंद्रों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से भी परिचित कराया गया। कार्यक्रम ने शोधार्थियों को संकाय सदस्यों के साथ संवाद करने और एनआईआरडीपीआर के सशक्त अनुसंधान तंत्र की गहन समझ प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान किया।

यह कार्यक्रम शोधार्थियों की डॉक्टरेट यात्रा की शुरुआत का प्रतीक था और उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो ज्ञान सृजन और सतत ग्रामीण विकास में योगदान देता है।

एनआरएलएम व्यक्ति अध्ययन श्रृंखला – परियोजना 'सहाया': शोक से आजीविका की ओर – सार्वजनिक सेवा वितरण में समुदाय-नेतृत्व वाला एक नवाचार

डॉ. ज्योति प्रकाश मोहंती
उप निदेशक, एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद

डॉ. प्रत्यय जगन्नाथ
राष्ट्रीय संसाधन व्यक्ति, डीएवाई-एनआरएलएम

श्री निगम दाश
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ओआरएमएएस









ओडिशा के पुरी स्थित पवित्र श्मशान घाट स्वर्गद्वार में, जहाँ हजारों परिवार हर वर्ष अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार करने के लिए एकत्र होते हैं, एक अभिनव पहल ने सार्वजनिक सेवा वितरण और ग्रामीण आजीविका, दोनों में परिवर्तन किया है। प्रोजेक्ट सहाया के नाम से जानी जाने वाली यह पहल दर्शाती है कि किस प्रकार संस्थागत अभिसरण, महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यम और प्रौद्योगिकी-सक्षम पारदर्शिता के माध्यम से लंबे समय से चली आ रही शासन संबंधी चुनौती का समाधान करते हुए ग्रामीण समुदायों के लिए सतत आजीविका के अवसर सृजित किए जा सकते हैं।

सितंबर 2022 से पहले, स्वर्गद्वार में केवल एक निजी विक्रेता द्वारा सेवाएँ प्रदान की जाती थीं, जिसका अंतिम संस्कार की रस्मों के लिए आवश्यक सभी 62 पूजा-सामग्री की बिक्री पर नियंत्रण था। कीमतें न तो मानकीकृत थीं और न ही प्रदर्शित की जाती थीं, जिसके कारण अधिक मूल्य वसूलने और मनमाने बिल बनाए जाने की लगातार शिकायतें प्राप्त होती थीं। देर रात के समय काउंटर अक्सर बंद रहता था, जिससे शोक संतप्त परिवारों को भावनात्मक रूप से कठिन परिस्थितियों में आवश्यक सामग्री के लिए अन्य स्थानों पर तलाश करनी पड़ती थी। बढ़ती हुई जन शिकायतों ने एक व्यवस्थित समाधान की आवश्यकता को उजागर किया।

इस चुनौती को पहचानते हुए, पुरी जिला प्रशासन ने डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत ओडिशा आजीविका मिशन (ओएलएम) के सहयोग से स्वर्गद्वार बिक्री काउंटर का प्रबंधन ओडिशा ग्रामीण विकास एवं विपणन सोसाइटी (ओआरएमएएस) को सौंप दिया। 15 सितंबर 2022 को, शोक संतप्त परिवारों के लिए सम्मानजनक और पारदर्शी सेवाएँ सुनिश्चित करने के साथ-साथ ग्रामीण महिलाओं के लिए सतत आजीविका के अवसर सृजित करने के दोहरे उद्देश्य से सहाया 24×7 सेवा काउंटर का शुभारंभ किया गया।

मुख्य संकेतक एक नज़र में		
248 लाभान्वित परिवार	**₹3.5–4 करोड़** वार्षिक कारोबार	**25%** लाभ मार्जिन
100–150 किलोग्राम प्रतिदिन उत्पादित घी	**₹7,500–10,000** अतिरिक्त मासिक आय	**24×7** संचालन के घंटे

आज, सहाया काउंटर पूरे वर्ष चौबीसों घंटे संचालित होता है और सॉफ्टवेयर-आधारित बिलिंग प्रणाली के माध्यम से सभी आवश्यक अनुष्ठान सामग्री उपलब्ध कराता है, जो मदवार रसीदें जारी करती है और पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। काउंटर पर मुखाग्नि सामग्री, पथश्राद्ध सामग्री और कोकेई पैकेज जैसे मानकीकृत अनुष्ठान पैकेज उपलब्ध हैं, जिससे परिवारों के लिए प्रक्रिया अधिक सरल और किफायती हो जाती है। प्रशिक्षित आठ सेवक पाली में कार्य करते हुए संवेदनशील एवं सहयोगपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं तथा स्वर्गद्वार स्थित 28 शवदाह स्थलों पर निर्बाध सेवाएँ सुनिश्चित करते हैं।

सहाया को विशिष्ट बनाने वाली इसकी महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों के साथ मजबूत बैकवर्ड लिंकेज है। शुद्ध देसी गाय का घी, जो सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानिक सामग्रियों में से एक है, गोप प्रखंड में स्थित गोपश्री गुआघेया प्रोड्यूसर एंटरप्राइज द्वारा आपूर्ति किया जाता है। स्वयं सहायता समूहों, सामुदायिक निवेश निधि से सहायता और बैंक लिंकेज के माध्यम से समर्थित इस उद्यम से 183 ग्रामीण परिवार डेयरी उत्पादन और घी प्रसंस्करण में जुड़े हुए हैं। यह उद्यम वर्तमान में प्रतिदिन 100–150 किलोग्राम शुद्ध देसी गाय का घी आपूर्ति करता है, जो काउंटर की दैनिक आवश्यकता का लगभग 70 प्रतिशत पूरा करता है।

चरण	विवरण
जुटाव	ओएलएम ने स्वयं सहायता समूहों के गठन तथा उन्हें गोप प्रखंड में उत्पादक समूहों और एक उत्पादक उद्यम के रूप में विकसित करने में सुविधा प्रदान की।
परिसंपत्ति सृजन	183 परिवारों को उत्पादक उद्देश्यों के लिए मवेशी खरीदने हेतु रियायती बैंक ऋण और सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) के संयोजन के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
दूध संग्रहण	सदस्य परिवारों से प्रतिदिन दूध का संग्रहण सुव्यवस्थित मार्गों के माध्यम से एक केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र तक किया जाता है।
घी प्रसंस्करण	दूध को स्वच्छतापूर्वक प्रसंस्कृत कर ओआरएमएएस द्वारा उपलब्ध कराए गए मानकीकृत प्रसंस्करण उपकरणों से सुसज्जित एक समर्पित इकाई में शुद्ध देसी गाय के घी में परिवर्तित किया जाता है।
गुणवत्ता आश्वासन	ओआरएमएएस उत्पादक उद्यम को गुणवत्ता आश्वासन, मानकीकरण प्रोटोकॉल और ब्रांडिंग सहायता प्रदान करता है।
बाजार संपर्क	ओआरएमएएस स्वर्गद्वार सहाया काउंटर पर सुनिश्चित बाजार उपलब्ध कराता है, जिससे उत्पादकों के लिए अनुमानित नकदी प्रवाह सुनिश्चित होता है।
आपूर्ति का पैमाना	क्लस्टर प्रतिदिन 100–150 किलोग्राम शुद्ध देसी गाय का घी आपूर्ति करता है, जो सहाया की दैनिक मांग का लगभग 70% पूरा करता है। शेष 30% का बाहरी वाणिज्यिक माध्यमों से सफलतापूर्वक विपणन किया जाता है।

शेष अनुष्ठान सामग्री की आपूर्ति माँ भगवती महिला एप्लिके क्लस्टर के माध्यम से की जाती है, जिसमें 12 स्वयं सहायता समूहों और उत्पादक समूहों की 58 महिलाएँ शामिल हैं। क्लस्टर दाह-संस्कार समारोहों के लिए आवश्यक अन्य 61 अनुष्ठानिक वस्तुओं की खरीद, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग और आपूर्ति का प्रबंधन करता है। इन सामुदायिक संस्थाओं ने मिलकर एक सशक्त मूल्य श्रृंखला का निर्माण किया है, जो 13 स्वयं सहायता समूहों और उत्पादक समूहों के 248 परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान करती है।

इस पहल का प्रभाव बेहतर सेवा वितरण से कहीं आगे तक विस्तृत है। उत्पादक उद्यम और क्लस्टर से जुड़ी महिलाएँ ₹7,500–10,000 की अतिरिक्त मासिक आय अर्जित कर रही हैं, जिससे वे ऋण चुकाने, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में निवेश करने तथा घरेलू वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने में सक्षम हो रही हैं। कई महिलाएँ, जिनके पास पहले सीमित आर्थिक अवसर थे, अब खरीद, लेखा-जोखा, गुणवत्ता आश्वासन और आपूर्ति-श्रृंखला संचालन का सक्रिय रूप से प्रबंधन कर रही हैं और आत्मविश्वासी उद्यमियों तथा सामुदायिक नेताओं के रूप में उभर रही हैं।

वित्तीय रूप से, सहाया एक टिकाऊ सामाजिक उद्यम के रूप में विकसित हुआ है। सेवा काउंटर का वार्षिक कारोबार लगभग ₹3.5–4 करोड़ है, जबकि लगभग 25 प्रतिशत का लाभ मार्जिन बनाए रखा जाता है। महत्वपूर्ण रूप से, यह मॉडल यह सुनिश्चित करता है कि लाभ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गाँव स्तर पर प्राथमिक उत्पादकों तक पहुँचे, साथ ही उपभोक्ताओं के लिए सेवाओं को किफायती और पारदर्शी बनाए रखा जाए।

सहाया की सफलता ने सार्वजनिक सेवा वितरण के एक अनुकरणीय मॉडल के रूप में ध्यान आकर्षित किया है। एकीकृत कृषि क्लस्टरों, पैकेजिंग प्रणालियों के स्वचालन और सौर ऊर्जा संचालित प्रसंस्करण सुविधाओं के माध्यम से इस पहल को सुदृढ़ करने की योजनाओं पर विचार किया जा रहा है। इस मॉडल को ओडिशा के अन्य श्मशान घाटों और अधिक आवागमन वाले स्थानों पर भी दोहराने के लिए विचार किया जा रहा है, जिससे महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों और समुदाय-आधारित सेवा वितरण के लिए नए अवसर सृजित होंगे।

मुख्य आँकड़े एक नज़र में

मापदंड	विवरण
स्थान	स्वर्गद्वार, पुरी, ओडिशा
शुभारंभ की तिथि	15 सितंबर 2022
क्रियान्वयन एजेंसी	ओआरएमएएस, पुरी जिला
सहायक संस्थाएँ	ओएलएम, जिला प्रशासन, डीएवाई-एनआरएलएम
प्राथमिक उत्पादक उद्यम	गोपाश्री गुआघेया प्रोड्यूसर एंटरप्राइज (183 परिवार)
नोडल उत्पादक समूह	माँ भगवती महिला एप्लिके क्लस्टर (58 महिलाएँ, 12 एसएचजी/पीजी)
कुल लाभार्थी परिवार	13 एसएचजी/पीजी में 248 परिवार
दैनिक घी उत्पादन	100–150 किलोग्राम शुद्ध देसी गाय का घी
वार्षिक कारोबार	₹3.5 से ₹4 करोड़
लाभ मार्जिन	लगभग 25%, समान रूप से साझा
महिलाओं की अतिरिक्त मासिक आय	₹7,500 से ₹10,000
भंडारित वस्तुएँ	62 आवश्यक अनुष्ठानिक वस्तुएँ
संचालन समय	24×7, 365 दिन
कर्मचारियों की संख्या	3 पालियों में 8 सेवक
सेवा प्रदान किए जाने वाले दाह-संस्कार स्थल	स्वर्गद्वार में 28 दाह-संस्कार मंच

एसएयू निदेशकों के लिए वीबी–जी आरएएम जी के अंतर्गत पारदर्शिता एवं जवाबदेही रूपरेखा पर अभिमुखीकरण कार्यशाला



डॉ. सी. धीरजा, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सामाजिक अंकेक्षण केंद्र, राज्य लेखापरीक्षा इकाई (एसएयू) के निदेशकों हेतु वीबी–जी आरएएम जी के अंतर्गत पारदर्शिता एवं जवाबदेही रूपरेखा पर आयोजित अभिमुखीकरण कार्यशाला के प्रतिभागियों के साथ।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद ने अपने सामाजिक लेखापरीक्षा केंद्र (सीएसए) के माध्यम से संस्थान परिसर में 07 से 08 मई 2026 तक राज्य अंकेक्षण इकाई (एसएयू) के निदेशकों के लिए विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) [वीबी–जी आरएएम जी] के अंतर्गत पारदर्शिता एवं जवाबदेही रूपरेखा पर एक अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया।

कार्यशाला का उद्देश्य एसएयू के निदेशकों को वीबी–जी आरएएम जी रूपरेखा के अंतर्गत परिकल्पित पारदर्शिता एवं जवाबदेही तंत्रों से परिचित कराना तथा कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संस्थागत प्रणालियों को सुदृढ़ करना था। इस कार्यक्रम में देशभर की राज्य लेखापरीक्षा इकाइयों के निदेशकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने की रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया।

सत्रों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही रूपरेखा के प्रमुख घटकों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिनमें सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ, शिकायत निवारण प्रणालियाँ, नागरिक भागीदारी, सार्वजनिक प्रकटीकरण तंत्र और निगरानी व्यवस्थाएँ शामिल थीं। चर्चाओं में जवाबदेही को बढ़ावा देने, कार्यक्रम प्रशासन में सुधार करने तथा ग्रामीण विकास संबंधी हस्तक्षेपों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने में राज्य लेखापरीक्षा इकाइयों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

स्रोत व्यक्तियों ने सामाजिक जवाबदेही तंत्रों को सुदृढ़ करने और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाने के संबंध में विभिन्न राज्यों के अनुभवों एवं उत्कृष्ट पद्धतियों को साझा किया। संवादात्मक चर्चाओं ने प्रतिभागियों को कार्यक्रम कार्यान्वयन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में सुधार के लिए परिचालन संबंधी चुनौतियों, संस्थागत व्यवस्थाओं तथा नवोन्मेषी दृष्टिकोणों पर अपने विचारों और अनुभवों का आदान-प्रदान करने का अवसर प्रदान किया।

कार्यशाला में हितधारकों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करने, संस्थागत क्षमताओं का निर्माण करने तथा कार्यक्रम की योजना और क्रियान्वयन में जवाबदेही उपायों को एकीकृत करने की रणनीतियों पर भी विचार किया गया। प्रतिभागियों ने सहकर्मी अधिगम के अवसर की सराहना की और राज्य-विशिष्ट संदर्भों के अनुरूप इस रूपरेखा को अपनाने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया।

कार्यक्रम का समापन वीबी–जी आरएएम जी के अंतर्गत पारदर्शिता एवं जवाबदेही प्रणालियों को सुदृढ़ करने तथा समावेशी और सतत ग्रामीण विकास के परिणाम प्राप्त करने के लिए सहभागी शासन को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता के साथ हुआ।

असम एसआरएलएम के लिए आईएफसी के प्रशिक्षण मॉड्यूलों के अंतिम रूप देने हेतु कार्यशाला



सीडब्ल्यूईएल, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद द्वारा आयोजित विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) [वीबी-जी आरएएम जी] के अभिमुखीकरण पर कार्यशाला-सह-राइटशॉप के दौरान एनआईआरडीपीआर के संकाय सदस्यों के साथ प्रतिभागी।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद के डीएवाई-एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ ने असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एएसआरएलएम) के लिए एकीकृत कृषि क्लस्टरों (आईएफसी) के प्रशिक्षण मॉड्यूलों को अंतिम रूप देने संबंधी कार्यशाला का आयोजन 13 से 15 मई 2026 तक किया।

कार्यशाला का उद्देश्य डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत एकीकृत कृषि क्लस्टर (आईएफसी) दृष्टिकोण के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए तैयार किए गए प्रशिक्षण मॉड्यूलों की समीक्षा करना और उन्हें अंतिम रूप देना था। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों, मिशन पदाधिकारियों और तकनीकी पेशेवरों ने भाग लिया, ताकि प्रशिक्षण सामग्री को परिष्कृत किया जा सके और असम के ग्रामीण समुदायों की क्षेत्रीय वास्तविकताओं एवं आजीविका संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप उसकी प्रासंगिकता सुनिश्चित की जा सके।

चर्चाओं में सतत कृषि, एकीकृत कृषि प्रणालियों, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, आजीविका विविधीकरण, अभिसरण रणनीतियों तथा सामुदायिक संस्थाओं के लिए क्षमता निर्माण संबंधी दृष्टिकोणों पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रतिभागियों ने मौजूदा प्रशिक्षण सामग्रियों की समीक्षा की, क्षेत्रीय अनुभवों और उत्कृष्ट पद्धतियों को शामिल किया तथा आईएफसी के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता में सुधार हेतु सिफारिशें विकसित कीं।

कार्यशाला ने सहयोगात्मक अधिगम और तकनीकी विचार-विमर्श के लिए एक मंच प्रदान किया, जिससे ऐसे व्यावहारिक और संदर्भ-विशिष्ट प्रशिक्षण मॉड्यूलों के विकास में योगदान मिला, जो ग्रामीण परिवारों की आजीविका, उत्पादकता और लचीलेपन को बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं।

कार्यक्रम का समापन प्रमुख मॉड्यूल घटकों को अंतिम रूप देने तथा असम एसआरएलएम द्वारा उनके अंगीकरण और कार्यान्वयन के लिए कार्य बिंदुओं के निर्धारण के साथ हुआ।

वीबी–जी आरएएम जी के अंतर्गत पारदर्शिता एवं जवाबदेही रूपरेखा पर लेखन कार्यशाला



एनआईआरडीपीआर के संकाय सदस्यों के साथ वीबी–जी आरएएम जी के अंतर्गत पारदर्शिता एवं जवाबदेही रूपरेखा पर टीओटी मॉड्यूल तैयार करने के लिए आयोजित राइटशॉप के प्रतिभागी।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद ने संस्थान परिसर में 06 से 08 मई 2026 तक विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) [वीबी–जी आरएएम जी] के अंतर्गत आजीविका-उन्मुख अवसंरचना की योजना और कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय स्तर की लेखन कार्यशाला एवं कार्यशाला का आयोजन किया।

कार्यक्रम में विशेषज्ञों, व्यवहारकर्ताओं, कार्यक्रम पदाधिकारियों और ग्रामीण विकास क्षेत्र के पेशेवरों ने भाग लिया तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सतत आजीविका संवर्धन में प्रत्यक्ष योगदान देने वाले अवसंरचना संबंधी हस्तक्षेपों की योजना बनाने, रूपरेखा तैयार करने और कार्यान्वयन के लिए रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया।

कार्यशाला में आजीविका-उन्मुख अवसंरचना की समझ को सुदृढ़ करने तथा ग्रामीण रोजगार, आय सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया। चर्चाओं में अवसंरचना योजना, योजनाओं का अभिसरण, परिसंपत्ति निर्माण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, बाजार-संबद्ध अवसंरचना तथा विकास प्रक्रियाओं में सामुदायिक भागीदारी जैसे प्रमुख विषयों को शामिल किया गया।

राइटशॉप के घटक ने वीबी–जी आरएएम जी के अंतर्गत आजीविका-उन्मुख अवसंरचना पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता के लिए दिशानिर्देश, प्रशिक्षण सामग्री और कार्यान्वयन रूपरेखा विकसित करने हेतु सहयोगात्मक चर्चाओं को सुगम बनाया। प्रतिभागियों ने क्षेत्रीय अनुभवों, उत्कृष्ट पद्धतियों और नवोन्मेषी दृष्टिकोणों का परीक्षण किया, जिन्हें विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में अपनाया जा सकता है।

सहभागी सत्रों, समूह अभ्यासों और विषयगत विचार-विमर्श ने प्रतिभागियों को कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों की पहचान करने तथा ग्रामीण अवसंरचना में निवेश की गुणवत्ता, स्थिरता और प्रभाव में सुधार के लिए व्यावहारिक समाधानों का पता लगाने में सक्षम बनाया। आजीविका को समर्थन देने, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने और समावेशी ग्रामीण परिवर्तन में योगदान देने वाली टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया।

कार्यक्रम ने ज्ञान के आदान-प्रदान और सामूहिक अधिगम के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया, जिससे वीबी–जी आरएएम जी के उद्देश्यों को प्राप्त करने में एकीकृत योजना और समुदाय-आधारित दृष्टिकोणों के महत्व को और सुदृढ़ किया गया।

एनआईआरडीपीआर में डीएवाई-एनआरएलएम प्रायोजित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया







डीएवाई-एनआरएलएम द्वारा प्रायोजित जूट एवं कपड़ा उत्पाद निर्माण तथा घरेलू सफाई एवं स्वच्छता उत्पाद निर्माण पर कौशल विकास कार्यक्रमों के दौरान प्रतिभागियों ने व्यावहारिक प्रशिक्षण गतिविधियों में भाग लिया।

दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) द्वारा प्रायोजित वर्ष 2026–27 के कौशल विकास कार्यक्रमों का उद्घाटन राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद के ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी) में किया गया।

कुल 94 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की महिलाएँ जूट एवं कपड़ा उत्पाद निर्माण तथा घरेलू सफाई एवं स्वच्छता उत्पाद निर्माण पर दो विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग ले रही हैं। इन कार्यक्रमों को ग्रामीण महिलाओं की व्यावसायिक क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए तैयार किया गया है, जिसमें उन्हें व्यावहारिक कौशल, तकनीकी ज्ञान और उद्यम विकास संबंधी सहायता प्रदान की जा रही है।

इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्घाटन डॉ. रविंद्र एस. गवली, निदेशक, डीएवाई-एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ, एनआईआरडीपीआर द्वारा किया गया। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उन्होंने ग्रामीण महिलाओं के लिए सतत आजीविका के अवसर सृजित करने में कौशल विकास, मूल्य संवर्धन और उद्यमिता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने जोर दिया कि ऐसी पहलें घरेलू आय बढ़ाने, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और डीएवाई-एनआरएलएम की रूपरेखा के अंतर्गत महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

कार्यक्रमों में कक्षा में दिए जाने वाले शिक्षण को व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ जोड़ा गया है, जिससे प्रतिभागियों को उत्पाद डिजाइन, विनिर्माण तकनीक, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन का अनुभव प्राप्त हो सके। प्रतिभागियों को सफल सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने और उसका प्रबंधन करने में सहायता के लिए उद्यमशीलता कौशल विकसित करने और बाजार के अवसरों को समझने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

तकनीकी प्रशिक्षण के अलावा, प्रतिभागियों को उद्यम प्रबंधन की अवधारणाओं, वित्तीय साक्षरता और व्यवसाय नियोजन से परिचित कराया जाएगा, जो कौशल को सतत आय-सृजनकारी उद्यमों में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक हैं। इन कार्यक्रमों से आजीविका में विविधता लाने और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की महिलाओं को अपने-अपने समुदायों में सफल उद्यमी बनने के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

यह पहल कौशल-आधारित हस्तक्षेपों के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने, ग्रामीण आजीविकाओं को सुदृढ़ करने तथा समावेशी और सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए डीएवाई-एनआरएलएम और एनआईआरडीपीआर की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

वीबी–जी आरएएम जी के अंतर्गत आजीविका-उन्मुख अवसंरचना पर राष्ट्रीय स्तर की राइटशॉप



डॉ. आर. चिन्नादुरै, एसोसिएट प्रोफेसर, सीपीआरडीपी एवं एसएसडी; डॉ. आर. अरुणा जयमणि, सहायक प्रोफेसर, सीजीजीपीए; तथा डॉ. प्रत्युष्णा पटनायक, सहायक प्रोफेसर, सीपीआरडीपी एवं एसएसडी, और डॉ. एस.के. सत्यप्रभा, सहायक प्रोफेसर, सीपीआरडीपी एवं एसएसडी, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद के साथ राइटशॉप के प्रतिभागी।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद ने संस्थान परिसर में 06 से 08 मई 2026 तक विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) [वीबी–जी आरएएम जी] के अंतर्गत आजीविका-उन्मुख अवसंरचना की योजना और कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय स्तर की राइटशॉप एवं कार्यशाला का आयोजन किया।

कार्यक्रम में विशेषज्ञों, व्यवहारकर्ताओं, कार्यक्रम पदाधिकारियों और ग्रामीण विकास क्षेत्र के पेशेवरों को एक साथ लाया गया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सतत आजीविका संवर्धन में प्रत्यक्ष योगदान देने वाले अवसंरचना संबंधी हस्तक्षेपों की योजना बनाने, डिजाइन तैयार करने और कार्यान्वित करने की रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया जा सके।

कार्यशाला में आजीविका-उन्मुख अवसंरचना की समझ को सुदृढ़ करने तथा ग्रामीण रोजगार, आय सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया। चर्चाओं में अवसंरचना योजना, योजनाओं का अभिसरण, परिसंपत्ति निर्माण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, बाजार-संबद्ध अवसंरचना तथा विकास प्रक्रियाओं में सामुदायिक भागीदारी जैसे प्रमुख विषयों को शामिल किया गया। लेखन कार्यशाला के घटक ने वीबी–जी आरएएम जी के अंतर्गत आजीविका-उन्मुख अवसंरचना पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता के लिए दिशानिर्देश, प्रशिक्षण सामग्री और कार्यान्वयन रूपरेखा विकसित करने हेतु सहयोगात्मक चर्चाओं को सुगम बनाया। प्रतिभागियों ने क्षेत्रीय अनुभवों, उत्कृष्ट पद्धतियों और नवोन्मेषी दृष्टिकोणों का परीक्षण किया, जिन्हें विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में अपनाया जा सकता है।

सहभागी सत्रों, समूह अभ्यासों और विषयगत विचार-विमर्श ने प्रतिभागियों को कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों की पहचान करने तथा ग्रामीण अवसंरचना में निवेश की गुणवत्ता, स्थिरता और प्रभाव में सुधार के लिए व्यावहारिक समाधानों का पता लगाने में सक्षम बनाया। आजीविका को समर्थन देने, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने और समावेशी ग्रामीण परिवर्तन में योगदान देने वाली टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया।

कार्यक्रम ने ज्ञान के आदान-प्रदान और सामूहिक अधिगम के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया, जिससे वीबी–जी आरएएम जी के उद्देश्यों को प्राप्त करने में एकीकृत योजना और समुदाय-आधारित दृष्टिकोणों के महत्व को और सुदृढ़ किया गया।

विद्यार्थी मंच: घरेलू पदानुक्रम से पंचायत तक

सुश्री दीपशिखा डे
पीजीडीआरडीएम, एनआईआरडीपीआर
deepshikhadey3@gmailcom

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियाँ ग्रामीण शासन में तेजी से दिखाई दे रही हैं, फिर भी वास्तविक नेतृत्व की स्थिति अक्सर विवादित बनी रहती है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय अवलोकनों और केरल से प्राप्त अनुभवों के आधार पर, यह लेख जमीनी स्तर पर महिलाओं के नेतृत्व की चुनौतियों और उसके मार्गों का विश्लेषण करता है।





क्षेत्रीय स्थिति: नेपाल सीमा के निकट बेला परसुआ

निघासन के निकट, नेपाल सीमा के पास स्थित बेला परसुआ में दूरी केवल किलोमीटर में नहीं मापी जाती। इसे कमजोर मोबाइल सिग्नल में महसूस किया जाता है, बाढ़-प्रवण परिदृश्य में देखा जाता है और उन महिलाओं की खामोशी में महसूस किया जाता है, जो अपने गाँव की समस्याओं को गहराई से जानती हैं, लेकिन अभी भी सार्वजनिक मंचों पर बोलना सीख रही हैं। उत्तर प्रदेश में अपनी क्षेत्रीय यात्रा के दौरान मुझे एहसास हुआ कि ग्रामीण शासन केवल पंचायत भवनों, निर्वाचित पदों या विकास योजनाओं तक सीमित नहीं है। यह उन अदृश्य सामाजिक सीमाओं से भी जुड़ा है, जो तय करती हैं कि कौन बोलेगा, कौन मौन रहेगा और निर्वाचित होने के बाद भी किसे अनुमति की आवश्यकता होगी। सार्वजनिक नेतृत्व की ओर एक महिला की यात्रा पंचायत भवन से शुरू नहीं होती। यह उसके घर से शुरू होती है।

निघासन, मिहींपुरवा और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में महिलाओं का जीवन पारिवारिक पदानुक्रम, निम्न साक्षरता, सीमित आवागमन, सामाजिक रीति-रिवाजों, सीमावर्ती क्षेत्र की असुरक्षा और संस्थागत दूरी से प्रभावित होता है। महिलाएँ निर्वाचित प्रतिनिधि बन जाने पर भी ये पुरानी सीमाएँ स्वतः समाप्त नहीं होतीं। पंचायत की सीट सार्वजनिक हो सकती है, लेकिन उसका उपयोग करने की अनुमति अक्सर परिवार के भीतर बातचीत और सहमति के माध्यम से तय होती है।

आरक्षण सीट प्रदान करता है, लेकिन स्वतः आवाज़ नहीं।

भारत ने महिलाओं को स्थानीय शासन में शामिल करके एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक उपलब्धि हासिल की है। लगभग 14 लाख महिलाएँ पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित सदस्यों के रूप में कार्यरत हैं, जो पंचायती राज संस्थाओं के कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का लगभग 46 प्रतिशत हैं। संवैधानिक आरक्षण ने जमीनी स्तर के लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी के लिए द्वार खोल दिया है।

लेकिन गहन प्रश्न यह है: क्या पंचायत की सीट पर आसीन होने मात्र से किसी महिला को स्वतः आवाज़, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त हो जाती है? पर्दा प्रथा, सीमित आवागमन और परिवार में लैंगिक आधार पर नियंत्रण जैसी प्रथाओं का बने रहना दर्शाता है कि इसका उत्तर जटिल है। आरक्षण प्रवेश का अवसर प्रदान करता है, लेकिन नेतृत्व के लिए इससे कहीं अधिक की आवश्यकता होती है– जागरूकता, आत्मविश्वास, परिवार का सहयोग, सामाजिक स्वीकृति, संस्थागत अनुभव, प्रशिक्षण और समुदाय की मान्यता।

लेकिन गहन प्रश्न यह है: क्या पंचायत की सीट पर निर्वाचित होना स्वतः ही किसी महिला को अपनी बात रखने की क्षमता, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है? पर्दा प्रथा, सीमित आवागमन और परिवार में लैंगिक आधार पर नियंत्रण जैसी प्रथाओं का बने रहना दर्शाता है कि इसका उत्तर जटिल है। आरक्षण महिलाओं के लिए प्रवेश का अवसर प्रदान करता है, लेकिन नेतृत्व के लिए इससे कहीं अधिक की आवश्यकता होती है—जागरूकता, आत्मविश्वास, परिवार का सहयोग, सामाजिक स्वीकृति, संस्थागत अनुभव, प्रशिक्षण और समुदाय की मान्यता।

कई गाँवों में महिलाएँ निर्वाचित तो होती हैं, लेकिन उनकी भागीदारी असमान बनी रहती है। कुछ महिलाएँ बैठकों में उपस्थित होती हैं, लेकिन बोलती नहीं हैं। कुछ महिलाएँ गाँव की समस्याओं से अवगत होती हैं, लेकिन उन्हें औपचारिक रूप से उठाने में झिझकती हैं, जिसका एक कारण यह भी है कि पितृवंशीय पारिवारिक संरचनाओं में अधिकार और निर्णय लेने की प्रक्रिया अभी भी पुरुष सदस्यों के इर्द-गिर्द केंद्रित रहती है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व अंतिम लक्ष्य नहीं है; यह एक लंबी यात्रा की शुरुआत है। नेतृत्व तब विकसित होता है, जब कोई महिला सार्वजनिक रूप से बोलना, अधिकारियों के साथ संवाद करना, योजना निर्माण में भाग लेना और धीरे-धीरे समुदाय का विश्वास अर्जित करना शुरू करती है।

पारिवारिक पदानुक्रम: पहली बाधा

महिला पंचायत में सक्रिय रूप से भाग लेने से पहले उसे अपने परिवार के साथ तालमेल स्थापित करना पड़ता है। विवाह से पहले वह अपने पिता के परिवार के अधिकार के अधीन रह सकती है; विवाह के बाद अपने पति के परिवार के। उसके आवागमन, संवाद, शिक्षा और सार्वजनिक संपर्क सभी परिवार की अपेक्षाओं से प्रभावित होते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि बन जाने से वह इन बाधाओं से तुरंत मुक्त नहीं हो जाती।

पति, ससुर, परिवार के बड़े पुरुष सदस्य और कभी-कभी परिवार की वरिष्ठ महिलाएँ भी यह प्रभावित कर सकती हैं कि वह बैठकों में भाग ले सकती है या नहीं, कार्यालयों तक जा सकती है या नहीं, मोबाइल फोन का उपयोग कर सकती है या नहीं, अथवा अधिकारियों के साथ संवाद कर सकती है या नहीं। यहीं पर प्रॉक्सी नेतृत्व दिखाई देता है: महिला निर्वाचित होती है, लेकिन उसकी ओर से कोई पुरुष रिश्तेदार बोलता है, दस्तावेजों का प्रबंधन करता है और निर्णयों को प्रभावित करता है।

फिर भी, प्रॉक्सी नेतृत्व को एक समान रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। नियंत्रण और सहयोग के बीच अंतर है। परिवार का कोई सदस्य यदि शुरुआत में आवागमन और प्रक्रियाओं में सहायता करता है और महिला का आत्मविश्वास बढ़ने के साथ धीरे-धीरे पीछे हट जाता है, तो यह वास्तविक परिवर्तन को सक्षम कर सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि क्या महिला समय के साथ सीख रही है, बोल रही है और निर्णय लेने के लिए अपना स्थान बना रही है। नेतृत्व कोई स्थिर पहचान नहीं है। यह सीखने, बातचीत करने और स्वयं को विकसित करने की एक प्रक्रिया है।

यहाँ संस्थाओं की प्रत्यक्ष भूमिका है। अधिकारियों और पंचायत प्रणालियों को निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के साथ सीधे संवाद करना चाहिए—केवल पुरुष रिश्तेदारों के माध्यम से नहीं। महिला स्वयं को संबोधित प्रशिक्षण आमंत्रण, प्रमाण-पत्र और सार्वजनिक मान्यता प्रॉक्सी प्रथाओं को कम करने में व्यावहारिक रूप से महत्वपूर्ण अंतर ला सकते हैं।

संवेदनशील क्षेत्र: निघासन, मिहींपुरवा और बुंदेलखंड

इन क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व को केवल लैंगिक आधार पर नहीं समझा जा सकता। इसे भूगोल, गरीबी, पारिस्थितिक दबाव और सार्वजनिक संस्थाओं की पहुँच के संदर्भ में भी समझना आवश्यक है।

निघासन, नेपाल सीमा के निकट बेला परसुआ के आसपास का क्षेत्र, बाढ़-प्रवण है, जहाँ संपर्क सुविधाएँ कमजोर हैं। जब संचार कुछ विशेष नेटवर्कों पर निर्भर करता है—या कुछ स्थानों पर नेपाली सिम पर—तो भूगोल स्वयं सूचना और कल्याणकारी सेवाओं तक पहुँच को प्रभावित करता है। नेपाल-सीमा क्षेत्र में सीमापार सामाजिक और वैवाहिक संबंधों का भी एक लंबा इतिहास रहा है, जिसे स्थानीय रूप से "रोटी-बेटी का रिश्ता" कहा जाता है—अर्थात भारतीय और नेपाली समुदायों के बीच भोजन, रिश्तेदारी, आजीविका और विवाह के संबंध।

लेकिन जैसे-जैसे शासन व्यवस्था दस्तावेज़-आधारित होती गई है, इन संबंधों ने नई असुरक्षाएँ पैदा कर दी हैं। भारतीय परिवारों में विवाह करने वाली नेपाली महिलाओं को आधार और पहचान संबंधी दस्तावेज़ प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जिससे राशन, पेंशन, स्वास्थ्य सेवा और आवास तक उनकी पहुँच प्रभावित हुई है। इन महिलाओं के लिए पहचान, विवाह, दस्तावेज़ीकरण और कल्याणकारी सेवाओं तक पहुँच एक ही समस्या

के विभिन्न पहलू हैं। कोई महिला किसी परिवार का हिस्सा हो सकती है, लेकिन यदि उसके दस्तावेज़ पर्याप्त नहीं हैं, तो सरकारी हकदारी तक उसकी पहुँच दूसरों पर निर्भर हो जाती है।

मिहींपुरवा में दूरस्थता और वन-सीमा की परिस्थितियाँ संस्थागत पहुँच को कमजोर करती हैं। आवागमन कठिन है, सरकारी कार्यालय दूर प्रतीत होते हैं और महिलाओं के लिए सार्वजनिक रूप से कहीं भी आने-जाने के लिए घर में पहले से अनुमति या सहमति लेना आवश्यक हो सकता है। बुंदेलखंड में–विशेष रूप से मुस्करा और नरैनी जैसे क्षेत्रों में–जल संकट, मौसमी पलायन और आजीविका की असुरक्षा महज अमूर्त संकेतक नहीं हैं, बल्कि महिलाओं की रोजमर्रा की जिम्मेदारियाँ हैं। वे जानती हैं कि पानी का स्रोत कहाँ सूख गया है, कौन-सी सड़क पर बाढ़ आती है, किसे राशन नहीं मिला है और किस बच्चे ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। यह विकास संबंधी व्यावहारिक और वास्तविक ज्ञान है। चुनौती यह है कि क्या व्यवस्था इसके लिए कोई ऐसा माध्यम तैयार करती है, जिससे यह ज्ञान औपचारिक योजना निर्माण में शामिल हो सके।

> **महिला समस्या को जान सकती है, लेकिन व्यवस्था उसकी बात शायद न सुने। यही वास्तविक अंतर है।**

मौन का मनोविज्ञान

कई महिलाएँ इसलिए मौन नहीं रहतीं कि उनके पास अपनी राय नहीं होती; बल्कि दुर्भाग्यवश, उन्हें सामाजिक रूप से मौन रहने के लिए ही तैयार किया गया है। बचपन से ही उन्हें बोलने की अपेक्षा अधिक सुनना, प्रश्न करने की अपेक्षा अधिक आज्ञापालन करना और सार्वजनिक रूप से टकराव से बचना सिखाया जा सकता है। शिक्षा बाधित होती है, आवागमन पर निगरानी रखी जाती है और सार्वजनिक स्थानों पर वह आत्मविश्वास विकसित नहीं हो पाता, जो अन्यथा विकसित हो सकता था।

उत्तर प्रदेश के NFHS-5 के आँकड़ों के अनुसार, 20–24 वर्ष की आयु की लगभग 16 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की कानूनी न्यूनतम आयु से पहले हो गया था, जबकि केरल में यह आँकड़ा 6.3 प्रतिशत था। ये आँकड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कम उम्र में विवाह पूरी पीढ़ी की शिक्षा, आवागमन, आत्मविश्वास और सामाजिक अनुभव को प्रभावित करता है। जहाँ बाल विवाह अब कम दिखाई देने लगा है, वहाँ भी इसके प्रभाव आज कई वयस्क महिलाओं के जीवन में बने हुए हैं।

क्षेत्रीय संवादों के दौरान मैंने जिसे “आवाज़ का धीमा पड़ना” कहता हूँ, उसे देखा। आँगन में होने वाली बातचीत में महिलाएँ पानी, राशन, सड़कों, पेंशन और घरेलू समस्याओं के बारे में स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ बोलती थीं। लेकिन जैसे ही चर्चा ग्राम सभा, सरकारी प्रक्रियाओं या औपचारिक अधिकार के विषय पर पहुँचती, वही महिलाएँ सतर्क, झिझकपूर्ण और अधिक शांत हो जाती थीं। उनका ज्ञान नहीं बदला था। जो बदला था, वह उसे व्यक्त करने की सामाजिक अनुमति थी।

एक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि के लिए, उसके मन में उठने वाले सवाल वास्तविक होते हैं: क्या मैं पुरुषों के सामने बोल सकती हूँ? यदि मुझसे कोई गलती हो गई तो क्या लोग हँसेंगे? क्या मेरा परिवार मुझे बैठक में शामिल होने की अनुमति देगा? ये सवाल ज्ञान और उसे व्यक्त करने के बीच के अंतर को उजागर करते हैं। इसलिए पंचायती राज में आत्मविश्वास का निर्माण कोई सामान्य कौशल नहीं है–कई महिलाओं के लिए यह लोकतांत्रिक भागीदारी की पहली शर्त है।

कई महिला नेता चुपचाप शुरुआत करती हैं। वे देखती हैं, बैठकों में बैठती हैं, सुनती हैं, निजी तौर पर प्रश्न पूछती हैं और धीरे-धीरे सीखती हैं कि पंचायत किस प्रकार कार्य करती है। यह यात्रा अक्सर इस प्रकार होती है: झिझक → अवलोकन → जागरूकता → आत्मविश्वास → आवाज़ → नेतृत्व।

केरल: एक सीखने योग्य तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य

केरल के साथ तुलना एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करती है: महिलाओं का नेतृत्व केवल व्यक्तिगत गुण नहीं है। यह एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र का परिणाम है।

केरल को पूर्ण या आदर्श के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए और न ही उत्तर प्रदेश को पिछड़ेपन तक सीमित कर देना चाहिए। सार्थक तुलना दो अलग-अलग सहायक पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच है। उत्तर प्रदेश के कई संवेदनशील क्षेत्रों में एक महिला नेता परिवार के पदानुक्रम और पंचायत की अपेक्षाओं के बीच अकेली खड़ी हो सकती है–उसके पास पद तो है, लेकिन उसका आत्मविश्वास के साथ उपयोग करने के लिए पर्याप्त सामूहिक सहयोग नहीं है।

केरल का कुडुम्बश्री कार्यक्रम लगभग 48.08 लाख महिलाओं के साथ कार्य करता है, जिन्हें लगभग 3.17 लाख पड़ोस समूहों में संगठित किया गया है। ये समूह क्षेत्र विकास समितियों और सामुदायिक विकास समितियों के माध्यम से उच्च स्तर पर जुड़े हुए हैं। बार-बार होने वाली समूह बैठकों, बचत, चर्चाओं और स्थानीय भागीदारी से सामूहिक संसाधन के रूप में आत्मविश्वास का निर्माण होता है। जो महिला वर्षों से समूह की बैठकों में बोलती रही है, उसके लिए ग्राम सभा पूरी तरह अपरिचित नहीं होती। सामूहिक सहयोग प्राप्त महिला स्वयं को कम अकेला महसूस करती है। सामूहिक सहभागिता से सार्वजनिक रूप से आत्मविश्वास का निर्माण करना आसान हो जाता है।

सीख यह नहीं है कि केरल की नकल यांत्रिक रूप से की जाए। सीखने की बात यह है कि इस सिद्धांत को समझा जाए: महिलाओं का नेतृत्व तब मजबूत होता है, जब व्यक्तिगत साहस को सामूहिक मंचों और संस्थागत मान्यता का समर्थन प्राप्त होता है। निघासन, मिहींपुरवा और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों के लिए इसका अर्थ मजबूत एसएचजी–पीआरआई संबंध, ग्राम सभा से पहले महिलाओं की बैठकें, नियमित नेतृत्व प्रशिक्षण, परिवार को संवेदनशील बनाने के प्रयास और निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों का प्रत्यक्ष संवाद हो सकता है। अंतर महिलाओं की क्षमता में नहीं, बल्कि उनके आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र में है।

निष्कर्ष: पदानुक्रम से आवाज़ तक

पंचायती राज में महिलाओं के नेतृत्व की यात्रा केवल परिवार से पंचायत तक की यात्रा नहीं है। यह पदानुक्रम से आवाज़ तक की यात्रा है–झिझक से आत्मविश्वास तक, अनौपचारिक ज्ञान से औपचारिक भागीदारी तक, प्रॉक्सी उपस्थिति से मान्यता प्राप्त नेतृत्व तक।

महिलाओं का नेतृत्व कई स्तरों से प्रभावित होता है: पारिवारिक पदानुक्रम, कम साक्षरता, सीमित आवागमन, कम उम्र में विवाह, बाढ़ की संवेदनशीलता, कमजोर संपर्क सुविधाएँ, दस्तावेज़ीकरण संबंधी कमियाँ और संस्थागत पहुँच की सीमाएँ। ये सभी स्तर सार्वजनिक भागीदारी को कठिन बनाते हैं, लेकिन जब महिलाओं का नेतृत्व उभरना शुरू होता है, तो यही परिस्थितियाँ उसे और अधिक सार्थक बनाती हैं।

महिलाओं में क्षमता की कोई कमी नहीं है। उन्हें ऐसे परिवारों की आवश्यकता है जो उनका सहयोग करें, ऐसे समुदायों की आवश्यकता है जो उन्हें मान्यता दें, ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता है जो उनके साथ सीधे संवाद करें और ऐसे मंचों की आवश्यकता है जो उनके रोजमर्रा के ज्ञान को सार्वजनिक कार्रवाई में बदलने में उनकी सहायता करें। आरक्षण महिलाओं को सीट प्रदान करता है। अब शेष कार्य यह सुनिश्चित करना है कि उस सीट से उनकी आवाज़ उठ सके।

> **"इन गाँवों में लोकतंत्र इसलिए विफल नहीं होता कि महिलाएँ नहीं जानतीं; यह तब कमजोर पड़ता है, जब उनका ज्ञान परिवार की अनुमति और संस्थागत मौन के बीच ही सीमित रह जाता है।"**

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन है और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के क्षेत्र में उत्कृष्टता का एक प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युनिस्कैप के उत्कृष्टता केंद्रों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त, यह प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श की परस्पर संबद्ध गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण विकास के कार्यकर्ताओं, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों, बैंकरों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों की क्षमताओं का निर्माण करता है। संस्थान तेलंगाना राज्य के ऐतिहासिक शहर हैदराबाद में स्थित है। एनआईआरडीपीआर ने *2008* में अपनी स्थापना का स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया। हैदराबाद में मुख्य परिसर के अतिरिक्त, इस संस्थान का गुवाहाटी, असम में उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र, नई दिल्ली में एक शाखा और वैशाली, बिहार में एक कैरियर मार्गदर्शन केंद्र है।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
NATIONAL INSTITUTE OF RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT, GOVERNMENT OF INDIA

राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030
दूरभाष: (040) 24008473, फैक्स: (040) 24008473
ई-मेल: : CDC.NIRD@GOV.IN, वेबसाइट: WWW.NIRDPR.ORG.IN

श्री टी. के. अनिल कुमार, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर

सहायक संपादक: कृष्णा राज के. एस.
अपर्णा वी. आर
मुखपृष्ठ डिजाईन: वी. जी. भट्ट

प्रकाशित:
प्रो. ज्योतिस सत्यपालन, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीपीजीएस एवं डीई
एनआईआरडीपीआर,
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030

